न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी– रवीन्द्र चौधरी आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र संख्या – 65/2020

प्रार्थी–

1. कंवरूराम उर्फ कंवरीलाल पुत्र हीराराम जाति कुम्हार
   निवासी कसनाउ तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल ।

उपस्थित –

1. अभिभाषक श्री मुन्नीलाल कड़वासरा प्रार्थी की ओर से ।
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक :– 01/03/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कंवरूराम उर्फ कंवरीलाल हैं। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा कसनाउ के खतौनी सं. 41 खसरा नम्बर 575 रकबा 11.16 बीघा में प्रार्थी का नाम बचपन की बोल –चाल की आम भाषा में कंवरी से संबोधित होने से सहवन से प्रार्थी के पिता हीराराम का स्वर्गवास होने से फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करते समय कंवरीलाल पुत्र हीराराम दर्ज हो गया है। प्रार्थी के मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड , जन आधारकार्ड , बैंक खाता व आधार कार्ड संख्या 921772806747 मे प्रार्थी का नाम कंवरूराम पुत्र हीराराम दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब देही तलब किया गया।जवाब देही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक भू.अ./2020/3450 दिनांक 02.12.2020 मय हल्का पटवारी गेलोली की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.11.2020 के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम फौतगी नामान्तरकरण से ही कंवरीलाल पुत्र हीराराम दर्ज है लेकिन अन्य सभी दस्तावेजों में कंवरूराम पुत्र हीराराम नाम दर्ज

01/03/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

है जिसे प्रार्थी अब कंवरूराम पुत्र हीराराम दर्ज करवाना चाहता है जो सही है। जांच करने पर पाया गया कि कंवरूराम पुत्र हीराराम सही नाम है। प्रार्थी का नाम कंवरीलाल पुत्र हीराराम के स्थान पर कंवरूराम पुत्र हीराराम राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किये जाने की अभिषंशा की।

प्रार्थना पत्र की ताहिद में हल्का पटवारी गेलोली की रिपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधारकार्ड , बैंक खाता, व कसनाउ के खतौनी सं. 41 खसरा नम्बर 575 रकबा 11.16 बीघा की नकल खतौनी प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में कसनाउ के खतौनी सं. 41 खसरा नम्बर 575 रकबा 11.16 बीघा में प्रार्थी का नाम कंवीलाल पुत्र हीराराम दर्ज के स्थान पर कंवरूराम पुत्र हीराराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज कसनाउ के खतौनी सं. 41 खसरा नम्बर 575 रकबा 11.16 बीघा संवत् 2073–76 में प्रार्थी का नाम कंवरीलाल पुत्र हीराराम दर्ज है जिसके स्थान पर कंवरूराम पुत्र हीराराम शुद्ध किये जाने में तहसीलदार जायल (अप्रार्थी) ने सहमति व्यक्त की है। इसी प्रकार मतदाता फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड , बैंक खाता, व आधार कार्ड संख्या 921772806747 की फोटो प्रति से प्रार्थी कंवरूराम उर्फ कंवरीलाल एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की अभिषंशा रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी कंवरूराम उर्फ कंवरीलाल दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम है। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक नाम कंवरूराम पुत्र हीराराम ही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है। परन्तु प्रकरण में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में भी नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि कंवरूराम एवं कंवरीलाल दोनो एक ही व्यक्ति है, तथा एक ही व्यक्ति के दो पृथक–2 नाम है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

01/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी कंवरूराम तहसील जायल का ग्राम कसनाऊ तहसील जायल राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 41 खसरा नं. 575 में बोलता नाम कंवरीलाल पुत्र हीराराम के स्थान पर वास्तविक नाम कंवरूराम पुत्र हीराराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्व प्रसंज्ञान से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत धारा 88, 136 आर.टी.एक्ट का मानते हुये स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम–कसनाऊ तहसील जायल की जमाबंदी खाता संख्या 41 खसरा नं. 575 में दर्ज खातेदार कंवरीलाल पुत्र हीराराम जाति–कुम्हार निवासी–कसनाऊ तहसील–जायल का बोलता नाम के स्थान पर कंवरूराम पुत्र हीराराम जाति–कुम्हार निवासी–कसनाऊ तहसील–जायल दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 01/03/2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

01/03/2021
(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, नागौर

Scanned with CamScanner